

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार कैम्प गणेशपुरा

पीठासीन अधिकारी- राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 62/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट
अनवान

1. बद्रीलाल पिता बरदीचन्द जाट नि. सोनियाणा तह. सहाडा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
2. नानी बेवा बरदीचन्द जाट नि. सोनियाणा तह. सहाडा भीलवाडा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. उदा पिता मांगू जाट नि. सोनियाणा तह. सहाडा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
2. शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंगापुर जिला भीलवाडा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-24.05.2018

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सोनियाणा पटवार क्षेत्र सोनियाणा, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 848 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 849 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 850 रकबा 0.20 है0, कुल किता 03 रकबा 0.73 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया जिनमें से विपक्षीगण संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित इनके एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सोनियाणा पटवार क्षेत्र सोनियाणा, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 848 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 849 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 850 रकबा 0.20 है0, कुल किता 03 रकबा 0.73 है0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प गणेशपुरा में सुनाया गया।



(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा